रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No D 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 12, 1973/माघ 23, 1894

No. 31] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 12, 1973/MAGHA 23, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 12th February 1973

G. S. R. 57(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods specified in column (2) of the Table annexed hereto and falling under the Item or Items in the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934) specified, in column (3) of the said Table, when imported into India from Brazil or Spain or Turkey or Yugoslavia or the Republic of Korea, from so much of that portion of the standard rate of duty of customs specified in the said First Schedule with respect to the aforesaid goods, read with any other notification (for the time being in force) issued under the said section 25, but not including the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 69—Customs, dated the 15th June, 1968, as is in excess of the rate specified in column (4) of the said Table:

Provided that the importer proves in accordance with the Rules of Origin referred to in paragraph 10 of the Protocol relating to Trade Negotiations among Developing Countries, signed on the 8th day of December, 1971 to the satisfaction of the proper officer of customs that the goods in respect of which the benefit of this exemption is claimed are of the origin of Brazil or Spain or Turkey or Yugoslavia, or the Republic of Korea, as the case may be.

THE TABLE

Sl. No.	Description of goods	Item No. in the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934	Extent of tariff concession.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Olive oil other than green sulphur (olive) oil.	15(6)	50 per cent of the standard rate of duty.
2.	Green sulphur (olive) oil . . .	15(6)	Do
3.	Pentaerythritol	28	15 percentage points from the standard rate of duty.
4.	Hormones, natural or reproduced by synthesis.	28	50 per cent of the standard rate of duty.
5.	Essential oils: ylang-ylang . . .	31 31(3)	Do.
6.	Polymerisation and copolymerisation products (for example, polyethylene, polytetrahaloethylenes, polyisobutylene polystyrene, polyvinyl chloride, polyvinyl acetate, polyvinyl chloroacetate and other polyvinyl derivatives, polyacrylic and polymethacrylic derivatives, coumarone-indene resins):		
	(i) Polyvinyl chloride (*a*) Liquid (*b*) Powder and grains. (*c*) Other forms.	82(3)	Do.
	(ii) Polyvinyl acetate . . .	82(3)	Do.
	(iii) Polystyrene	82(3)	Do.
	(*a*) Liquid (*b*) Powder and grains (*c*) Other forms.		
7.	Rubber tyres, tyre cases, interchangeable treads, inner tubes and tyre flaps: for tractors	39(3)	Do.
8.	Plywood	40(4)	50 per cent of the standard rate of duty
	Veneered panels. . .	87	Do.
9.	Cotton yarn, not put up for retail sale .	47(6)	Do.
10.	Unmanufactured abaca, all grades .	46(5)	Do.
11.	Cordage, cables, ropes of abaca and true hemp	50(2) 50(6)	Do. Do.
12.	Ferro-manganese . . . . . Ferro-silicon	63(1) 63(35)	10 percentage of points from the standard rate of duty.
13.	Tin plates . . . . . G.I. Sheets	63(10) 63(20)	50 per cent of the standard rate of duty.
14.	Tubes and pipes and blanks therefor, of iron (other than of cast iron) or steel, excluding high pressure hydro-electric conduits.	63(17) 63(18)(a) 72(3) read with 72(b) 73(19)	Do. Do. Do. Do.
15.	Tube and pipe fittings of iron or steel (elbows, tees, reducers, and plugs), solderable, seamless, of carbon steel of 12·7 to 305 mm. (½" to 12") diameter. Flanges of forged steel for pressures of 10·5 kgs. per sq. cm. (150 lb); 21·0 kgs. per sq. cm. (300 lb); 28·1 kgs. per sq. cm. (400 lb), 42·2 kgs. per sq. cm. (600 lb); sizes from 12·7 mm (½") to 2,641 mm (104"), weighing from 50 to 2,500 kgs.)	63(18)(*b*) 63(17)	Do.

(1)	(2)	(3)	(4)
16.	Aluminium bars and rods and slabs .	66(1) 66(b)	50 per cent of the standard rate of duty.
17.	Aluminium sheets, corrugated . .	66(a)	Do.
18.	Interchangeable tools for hand tools, for machine tools or for power-operated hand tools (for example, for pressing, stamping, drilling, tapping, threading, boring, broaching, milling, cutting, turning, dressing, morticing or screw driving), including dies for wire drawing, extrusion dies for metal, and rock drilling bits but not including spiral drills: (I) of base metals: (a) Drills and other drilling tools, (b) Screw drills, reamers, screw tools including threading-die mounting, and other screw tools for holes, reaming and thread cutting, (c) Milling-cutters, mandrels, modulating cutters and other tools for cutting and making cogwheels, (d) Turning and similar tools, including ground and heat treated rods, (e) Drawing tools (for pipes, rods and the like), including tools (matrices etc.) for cold extrusion, (f) Boring and drilling tools: (1) For mining purposes (2) Other purposes. (g) For machines and hand tools. (II) of metal carbides: (a) For boring and drilling: (1) For mining purposes, (2) Other purposes. (b) For machines and hand tools. (III) of diamond, agglomerated or not: (a) For boring and drilling: (1) For mining purposes, (2) Other purposes, (b) For machines and hand tools. (IV) of other materials.	71(a) 72(3) read with 72(b)	Do.
19.	Steam and other vapour generating boilers (excluding central heating hot water boilers capable also of producing low pressure steam): (a) Cornish type boilers (with dished or flat ends) (b) Vertical boilers with water tube. (c) Economic type boilers (d) Water tube boilers (e) Package type boilers.	72(a)	Do.
20.	Irrigation pumps	72(b) 72(6)	Do.
21.	High speed industrial sewing machines	72(b)	Do.
22.	Machine-tools for working metal or metallic carbides, —Lathes: (a) Universal and productive, with teeth height not exceeding 350 mm.	72(b) 72(6)	Do.

(1)	(2)	(3)	(4)
	(*b*) Vertical (carrousel) (*c*) Revolving (*d*) Single-spindle automatic, copying and programmed. (*e*) Others.		50 per cent of the standard rate of duty.
23.	Cash registers worked by motors over 1/4 h.p.	72(b)	Do.
24.	Component parts of statistical machines	72(3) read with 72(b)	10 per centage points from the standard rate of duty.
25.	Glass making and glass working machines	72(b) 72(6)	50 per cent of the standard rat of duty.
26.	Primary cells and primary batteries .	73(7)(b)	Do.
27.	Electrical accumulators: Lead-acid accumulators	72(a) 73(7)(a) 73(7)(b) 73(15)	Do.
28.	Spot welding machines with transformers (portable type)	72(c)	Do.

[No. 18/F. No. 363/6/72-Cus. I.
S. NARAYANAN, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1973

सा० का० नि० 57 (अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट और भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची की मद या मदों के अन्तर्गत आने वाले उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट, माल को, जब उनका ब्राजील या स्पेन या टर्की या यूगोस्लाविया या रिपब्लिक आफ कोरिया से भारत में आयात किया जाय, उक्त धारा 25 के अधीन जारी की गई (तत्समय प्रवृत्त) किसी अन्य अधिसूचना, किन्तु इसमें भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 69—सीमा-शुल्क, तारीख 15 जून, 1968 सम्मिलित नहीं है, के साथ पठित, उपर्युक्त माल की बाबत उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमा-शुल्क की मानक दर के उतने भाग से एतद्द्वारा छूट देती है, जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट दर से अधिक है :

परन्तु यह तब जब कि आयातकर्ता (1971 के दिसम्बर, के 8वें दिन हस्ताक्षरित विकासशील देशों के बीच व्यापारिक बातचीत से सम्बन्धित प्रोटोकाल के पैरा 10 में निर्दिष्ट उद्गम-नियमों के अनुसार) सीमा-शुल्क के समुचित अधिकारी के समाधान प्रद रूप में यह साबित कर दे कि वह माल, जिसकी बाबत इस छूट के फायदे का दावा किया गया है, यथास्थिति, ब्राजील या स्पेन या टर्की या यूगोस्लाविया या रिपब्लिक आफ कोरिया उद्गम का है ।

सारणी

क्रम संख्या	वस्तुओं का वर्णन	भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 की प्रथम अनुसूची में मद संख्या	टैरिफ रियायत की सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	हरित गंधक (जैतून) तेल से भिन्न जैतून का तेल	15(6)	मानक–शुल्क–दर का 50 प्रतिशत ।
2	हरित गंधक (जैतून) तेल	15(6)	–यथोक्त–
3	पेन्टेरिथ्रिटोल	28	मानक–शुल्क दर से 15 प्रतिशत
4	प्राकृतिक या संश्लेषण द्वारा पुनरुत्पादित हार्मोन	28	मानक–शुल्क– दर का 50 प्रतिशत
5	एशेन्सिअल आयल : यलांग-यलांड	31 31(3)	–यथोक्त–
6	बहुलकीकरण और सहबहुलयीकरण उत्पाद (उदाहरणार्थ, पालिथाइलिन, पालिटैट्राआलोइथाइलिन, पालिसोब्यूटीलिन, पालिस्टिरिन, पालिविनील क्लोराइड, पालिविनील एसीटेट, पालिविनील क्लोरोइसीटेट और अन्य पालिविनील अवकलज, पालिक्रिलिक और पालिमेथाक्रिलिक अवकलज, कौमारोन-इन्डीन रेजिन) ?		
	(i) पालिविनील क्लोराइड :	82(3)	–यथोक्त–
	(क) तरल		
	(ख) चूर्ण और दाने		
	(ग) अन्य रूप		
	(ii) पालिविनील ऐसीटेट	82(3)	–यथोक्त–
	(iii) पालिट्रिरीन :	82(3)	–यथोक्त–
	(क) तरल		
	(ख) चूर्ण और दाने		
	(ग) अन्य रूप		
7	रबड़ के टायर, रबड़ की पेटी, अन्तर्निगेयट्रीड (पाद-बेलन), आन्तरनल और ट्रैक्टरों के लिए टायर के पल्ले	30(3)	-यथोक्त-

(1)	(2)	(3)	(4)
8	लाई लकड़ी पृष्ठावरणित चौखटा	40(4) 87	मानक-शुल्क-दर का 50 प्रतिशत
9	फुटकर विक्रय के लिए न रखा गया सूती धागा	47(6)	—यथोक्त—
10	सभी श्रेणियों का अनिर्णित अबेका	46(5)	—यथोक्त—
11	अबेका की डोरिया, तार, रस्से और असली भांग	50(2) 50(6)	—यथोक्त—
12	फैरो मैंगनीज फैरो सिलिकोन	63(1) 63(35)	मानक-शुल्क-दर का 10 प्रतिशत
13	टीन की प्लेटें जी० आई० शीटें	63(10) 63(20)	मानक-शुल्क-दर का 50 प्रतिशत
14	उच्चदाब जल वैद्युत् तारनाली के सिवाय (ढाले गए लोहे से भिन्न) या इस्पात की ट्यूब और नालियां और उनके लिए असम्पूर्ति	63(17) 63(18)(क) 72 (ख) के साथ पठित 72(3) 73(10)	—यथोक्त— —यथोक्त— —यथोक्त— —यथोक्त— —यथोक्त—
15	12.7 से 305 मि० मी० ($\frac{1}{2}$" से 12") व्यास के कार्बन इस्पात का टांका लगाने योग्य सीमलेख लोहे का इस्पात की ट्यूब और नाली फिटिंग (कोहनी, टीस, घटाने वाले और प्लग) 10.5 कि. ग्रा० प्रति घन से० मी० (150 पौण्ड); 21.0 कि० ग्रा० प्रति घन से० मी० (300 पौण्ड); 28.1 कि० ग्रा० (400 पौण्ड); 42.2 कि० ग्रा० प्रति घन से० मी० (600 पौण्ड) ; आकार 12.7 मि० मी० ($\frac{1}{2}$") से 2641 मि० मी० (104), 50 से 2500 कि० ग्रा० वजन का ।	63(18)(ख) (63)(17)	—यथोक्त—
16	ऐल्यूमिनियम की सलाखें और शलाकें और पट्टियां	66(1) 66(ख)	—यथोक्त— —यथोक्त—
17	ऐल्यूमिनियम की नालीदार शीटें	66(क)	—यथोक्त—

(1)	(2)	(3)	(4)
18.	हस्त औजारों के लिए, मशीन औजारों के लिए अथवा विद्युत् संचालित हस्त औजारों के लिए अन्तर्निगेय या विनिमयशील) औजार (उदाहरणार्थ दबाने के लिए, स्टाम्प लगाने के लिए, बरमाने के लिए, अंशनिष्कासन के लिए, सूत्रण के लिए, छिद्र करने के लिए, टर्निंग के लिए, पेषण के लिए, काटने के लिए, खरादन के लिए, प्रसाधन के लिए, सालने के लिए या पेच कसने के लिए जिसमें तार खींचने के लिए डाइयां, धातु के लिए, बहिर्वेधन डाईयां और धूर्णा वेधना, बरमे शामिल हैं किन्तु इसमें निम्नलिखित के स्पिरल वेधन शामिल नहीं हैं:	72(ख) के साथ पठित 71(क) 72(3)	मानक-शुल्क-दर का 50 प्रतिशत —यथोक्त—
	(i) आधार धातु के :—		
	(क) बरमे और अन्य बरमाने के औजार,		
	(ख) पेच बरमें, छिद्रवर्धक, पेच औजार, जिसमें सूत्रण-डाइ मक्राई और छिद्र, छिद्र-वर्धक और सूत्रीकरण के लिए अन्य पेच औजार शालिम हैं,		
	(ग) पेषण-कटर, मैनट्रल्स, मोड्युलेटिंग-कटर्स और दंतचक्रों का काटने और बनाने के लिए औजार ,		
	(घ) टर्निंग और उसी प्रकार के अन्य औजार जिसमें ग्राउंड और उष्मा- उपचारित छड़ें है,		
	(ङ) खींचने वाले औजार (पाइप छड़ों और अन्य इसी प्रकार के लिए), जिसमें शीतल बहिर्वेधन के लिए औजार (मैंड्रिसेस आदि) हैं,		

(1)	(2)	(3)	(4)
	(च) छिद्र करने और बरमाने वाले औजार :		
	(1) खनन प्रयोजनों के लिए,		
	(2) अन्य प्रयोजनों के लिए,		
	(छ) मशीन और हस्त औजारों के लिए ।		
	(ii) धातु कार्बाइड :		
	(क) छिद्र करने और बरमाने के लिए:		
	(1) खनन प्रयोजनों के लिए,		
	(2) अन्य प्रयोजन		
	(ख) मशीन और हस्त औजारों के लिए ।		
	(iii) हीरक के, चाहे एकत्रित हो या नहीं :		
	(क) छिद्र करने और बरमाने के लिए ,		
	(1) खनन प्रयोजनों के लिए,		
	(2) अन्य प्रयोजन		
	(ख) मशीनों और हस्त औजारों के लिए		
	(iV) अन्य सामग्रियों का		
19	भाप और अन्य वाष्प जनन बायलर (कम दबाव-भाव उत्पादन करने के भी योग्य केन्द्रीय तापन गर्म जल बायलर को छोड़ कर) :	72(क)	मानक-शुल्क- दर का 50 प्रतिशत
	(क) कार्निश प्रकार के बायलर (नतोदर या समतल आकार वाले सिरे सहित)		
	(ख) जल-नलिका सहित अर्ध्वाधर बायलर,		

(1)	(2)	(3)	(4)
	(ग) मितव्ययी प्रकार के बायलर,		
	(घ) जल-नलिका बायलर,		
	(ङ) पैकेज प्रकार के बायलर		
20	सिंचाई पम्प	72(ग) 72(6)	–यथोक्त– –यथोक्त–
21	उच्च गतिशील औद्योगिक सिलाई-मशीनें	72(ख)	–यथोक्त–
22	कार्यकारी धातु या धात्विक कार्बाइड के लिए मशीनी-औजार —खराद (लेथ)	72(ख) 72(6)	–यथोक्त– –यथोक्त–
	(क) सर्वोपयोगी (यूनिवर्सल) और उत्पादक (प्रोडक्टिव, 350 मि० मी० से अनधिक ऊंचाई वाले दांते सहित ।		
	(ख) ऊर्ध्वाधर (केराउजल)		
	(ग) परिक्रामी,		
	(घ) एकल-तर्कु और स्वचालित, अनुकारी और पूर्वयोजित (प्रोग्राम्ड		
	(ङ) अन्य		
23	1/4 हार्सपावर से अधिक वाले मोटरों द्वारा बनाए गए कैश-रजिस्टर	72(ख)	–यथोक्त–
24	सांख्यिकीय मशीनों के संघटक भाग	72 (ख) के साथ पठित 72(3)	मानक-शुल्क-दर का 10 प्रतिशत पौइंट ।
25	कांच बनाने और कांच का काम करने वाली मशीन ।	72 ख) 72(6)	मानक-शुल्क-दर का 50 प्रतिशत –यथोक्त–
26	प्राथमिक खेल और प्राथमिक बैटरी	73(7) (ख)	–यथोक्त–

(1)	(2)	(3)	(4)
27	वैद्युत संचायक :	72(क)	—यथोक्त—
	सीसा-अम्ल संचायक	73(7)(क)	—यथोक्त—
		73(7) (ख)	—यथोक्त—
		73(15)	—यथोक्त—
28	ट्रांसफार्मर सहित वेल्डिंग मशीन (सुबाह्य प्रकार)	72(ग)	—यथोक्त—

[सं० 18/फा० सं० 363/6/72—सीमा शुल्क-1]

एस० नारायणन, उप सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973